

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू०/IDSP/दि० नि०/7/2013-14/

दिनांक: 30-12-13

विषय : इन्टीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेन्स प्रोग्राम के अन्तर्गत के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनपदवार, गतिविधिवार द्वितीय किस्त हेतु अवमुक्त धनराशि एवं तदसम्बन्धी दिशा-निर्देश।

महोदया/महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की आर०ओ०पी० 2013-14 के एफ०एम०आर० कोड सं०-ई के अन्तर्गत रू० 889.62 लाख की धनराशि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है।

2. अवगत कराना है कि इन्टीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेन्स प्रोग्राम के अन्तर्गत महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० द्वारा उपलब्ध कराए गए फांट के अनुसार प्रथम किस्त के रूप में रू० 267.69841 लाख की धनराशि का आवंटन जनपदों को किया जा चुका है, जिसकी सूचना एवं दिशा-निर्देश इस कार्यालय के पत्र संख्या एस०पी०एम०यू०/IDSP/दि० नि०/07/2013-14/2506-75 दिनांक 03.09.2013 द्वारा आपको दी जा चुकी है।

3. इन्टीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेन्स प्रोग्राम के अन्तर्गत द्वितीय किस्त के लिये महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र० द्वारा उपलब्ध कराए गए जनपदवार गतिविधिवार फांट के अनुसार एवं जनपदों में शेष अनकमिटेड धनराशि को घटाते हुये जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में रू० 163.31 लाख की धनराशि निम्नलिखित तालिका के अनुसार अवमुक्त की जा चुकी है-

(Amount in Rs.)

SN	Name of District	Remuneration Form Contractual Human Resource			Operational Costs (Rs. 25000/- per Month) including 10 Medical Colleges. E1	Total Proposed amount by SPO	Balance in districts after 1st released	Total amount to be released
		Epidemiologist (Rs. 27500-44000) E.2.1	Data Manager (Rs. 18000 per Mth) E.3.2	Data Entry Operator (Rs. 11000/mth) E.3.3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Agra	138600	72000	44000	100000	354600		354600
2	Aligarh	-	72000	44000	100000	216000		216000
3	Allahabad	118800	108000	-	100000	326800		326800
4	Ambedkar Nagar	-	-	-	-	0	720930	0
5	Auraiya		72000	-	100000	172000		172000
6	Azamgarh	121000	-	44000	100000	265000		265000
7	Badaun	143000	72000	44000	100000	359000		359000
8	Baghpat	-	-	-	-	0	582818	0
9	Bahraich	134200	72000	44000	100000	350200		350200
10	Ballia	-	72000	-	100000	172000	92497	79503

SN	Name of District	Remuneration Form Contractual Human Resource			Operational Costs (Rs. 25000/- per Month) including 10 Medical Colleges. E1	Total Proposed amount by SPO	Balance in districts after 1st released	Total amount to be released
		Epidemiologist (Rs. 27500-44000) E.2.1	Data Manager (Rs. 18000 per Mth) E.3.2	Data Entry Operator (Rs. 11000/mth) E.3.3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Balrampur	-	108000	44000	100000	252000		252000
12	Banda	-	72000	-	100000	172000		172000
13	Barabanki	143000	72000	44000	100000	359000		359000
14	Bareilly	138600	72000	-	100000	310600		310600
15	Basti	127600	72000	44000	100000	343600		343600
16	Bhadohi (St. Ravidas Nagar)	-	-	44000	100000	144000	18007	125993
17	Bijnor	123200	72000	-	100000	295200		295200
18	Bulandshahar	-	72000	44000	100000	216000		216000
19	Chandauli	181500	72000	44000	100000	397500		397500
20	C S M Nagar (Amethi)	-	108000	-	100000	208000		208000
21	Chitrakoot	-	72000	-	100000	172000		172000
22	Deoria	114400	72000	-	100000	286400		286400
23	Etah	-	-	44000	100000	144000		144000
24	Etawah	-	-	88000	100000	188000		188000
25	Faizabad	-	72000	-	100000	172000	103064	68936
26	Farrukhabad	-	72000	44000	100000	216000		216000
27	Fatehpur	-	72000	-	100000	172000	96283	75717
28	Ferozabad	-	72000	44000	100000	216000		216000
29	GB Nagar	168300	-	-	100000	268300	723853	0
30	Ghaziabad	-	72000	-	100000	172000		172000
31	Ghazipur	-	-	44000	100000	144000		144000
32	Gonda	112200	72000	44000	100000	328200		328200
33	Gorakhpur	147400	72000	88000	100000	407400		407400
34	Hamirpur	167200	72000	44000	100000	383200		383200
35	Hardoi	143000	72000	44000	100000	359000		359000
36	Hathras	138600	-	44000	100000	282600		282600
37	Jalaun	123200	-	44000	100000	267200		267200
38	Jaunpur	-	-	-	-	0	384923	0
39	Jhansi	116600	72000	88000	100000	376600		376600
40	JP Nagar	176000	72000	44000	100000	392000		392000
41	Kannauj	-	108000	-	100000	208000		208000
42	Kanpur (Dehat)	-	-	44000	100000	144000		144000
43	Kanpur (Nagar)	127600	72000	154000	100000	453600		453600
44	Kanshi Ram Ngr	-	-	44000	100000	144000	92235	51765
45	Kaushambi	116600	-	44000	100000	260600		260600
46	Kushinagar	156200	72000	44000	100000	372200		372200
47	Lakhimpur Khiri	-	72000	44000	100000	216000		216000
48	Lalitpur	-	-	44000	100000	144000	164014	0
49	Lucknow	125400	72000	-	100000	297400		297400
50	Maharajganj	-	-	44000	100000	144000		144000
51	Mahoba	132000	72000	44000	100000	348000		348000

SN	Name of District	Remuneration Form Contractual Human Resource			Operational Costs (Rs. 25000/- per Month) including 10 Medical Colleges. E1	Total Proposed amount by SPO	Balance in districts after 1st released	Total amount to be released
		Epidemiologist (Rs. 27500-44000) E.2.1	Data Manager (Rs. 18000 per Mth) E.3.2	Data Entry Operator (Rs. 11000/mth) E.3.3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Mainpuri	-	72000	-	100000	172000		172000
53	Mathura	-	-	-	-	0	402000	0
54	Mau	132000	-	-	100000	232000		232000
55	Meerut	162800		88000	100000	350800		350800
56	Mirzapur	111100	108000	-	100000	319100		319100
57	Moradabad	125400	18000	-	100000	243400		243400
58	Muzzafarnagar	-	72000	44000	100000	216000		216000
59	Pilibhit	-	72000	44000	100000	216000	10813	205187
60	Pratapgarh	127600	-	44000	100000	271600		271600
61	Raebareilly	145200	72000	44000	100000	361200		361200
62	Rampur	-	-	-	-	0	93936	0
63	Saharanpur	-	72000	44000	100000	216000		216000
64	Sant Kabir Nagar	-	-	44000	100000	144000		144000
65	Shahjahanpur	118800	72000	-	100000	290800		290800
66	Shrawasti	-	72000	-	100000	172000		172000
67	Siddharthanagar	165000	72000	-	100000	337000	210358	126642
68	Sitapur	198000	72000	-	100000	370000		370000
69	Sonbhadra	-	-	44000	100000	144000	57142	86858
70	Sultanpur	-	72000	44000	100000	216000		216000
71	Unnao	-	72000	-	100000	172000		172000
72	Varanasi	127600	72000	88000	100000	387600		387600
73	Bheem nagar (Sambhal)	-	-	-	-	0		0
74	Prabhudha nagar (Shamli)	-	-	-	-	0		0
75	Panchsheel nagar (Hapur)	-	-	-	-	0		0
Total		4847700	3654000	2222000	6700000	17423700	3752873	16331001

4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जाएगा जिन मदों के लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

5. कार्यक्रम के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग इस कार्यालय/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र० कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रेषित किये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

6. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

7. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
8. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकी में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
9. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये, जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
10. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
11. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहे।
12. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट टीम एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
13. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
14. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफार्मेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।
15. संविदा कर्मियों के मानदेय के मद में अवमुक्त की जा रही धनराशि से मानदेय का भुगतान उन्हीं संविदा कर्मियों को किया जाएगा जिनका मुल्यांकन करने के पश्चात् वर्ष 2013-14 के लिए अनुबन्धित किया गया हो। मानदेय का भुगतान संविदा कर्मियों का वर्ष 2013-14 में अनुबन्धित होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ की तिथि से उनके द्वारा किये गये सन्तोष जनक कार्य के आधार पर किया जाए।
16. कार्यक्रम के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोग तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश राज्य कार्यक्रम अधिकारी, इन्टीग्रेटेड डिजीज सर्विलेन्स प्रोग्राम द्वारा पृथक से जनपदों को निर्गत किया जायेगा। कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित की जायेगी।
17. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक

कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक
तद्दिनांक

4738-75-10

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू० / IDSP / दि० नि० / 07 / 2013-14 /

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
3. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन / राष्ट्रीय कार्यक्रम, उ०प्र०, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
6. समस्त, जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य सोसायटी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, इन्टीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेन्स प्रोग्राम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ की अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोग तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से जनपदों को निर्गत करना सुनिश्चित करें तथा कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित करना भी सुनिश्चित करें।
9. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस०, एस०पी०एम०यू०, एन०आर०एच०एम० को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन०आर०एच०एम० की वेबसाइट- www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

27/12/13
(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक